

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

|     |  |   |                      |                        |
|-----|--|---|----------------------|------------------------|
| "3क | 33012400,<br>33012510,<br>33012520,<br>33012530,<br>33012540 | खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:-<br><br>क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा);<br><br>ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)। | कोई अपंजीकृत व्यक्ति | कोई पंजीकृत व्यक्ति।"; |
|-----|--|---|----------------------|------------------------|

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यु]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

### No. 10/2021-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 695(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

|       |  |   |                         |                          |
|-------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| " 3A. | 33012400,<br>33012510,<br>33012520,<br>33012530,<br>33012540 | Following essential oils other than those of citrus fruit namely: -<br><br>a) Of peppermint ( <i>Mentha piperita</i> );<br><br>b) Of other mints : Spearmint oil ( <i>ex-mentha spicata</i> ), Water mint-oil ( <i>ex-mentha aquatic</i> ), Horsemint oil ( <i>ex-mentha sylvestries</i> ), Bergament oil ( <i>ex-mentha citrate</i> ). | Any Unregistered Person | Any Registered Person."; |
|-------|--|---|-------------------------|--------------------------|

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by Notification No. 11/2018-Central Tax (Rate) dated 28<sup>th</sup> May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 504(E), dated the 28<sup>th</sup> May, 2018.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 11/2021-केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 696(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निः शुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, को सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

**No. 11/2021-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 696(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1,

(i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;